>

Title: Need to make appointments on compensatory ground and enquire the irregularities in examination for recruitment of Junior Clerk cum Typist.

**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह):** सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से दामोदर घाटी निगम में ठेका मजदूरों, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने और कनिष्ठ लिपिक सह टंकक 2010/डी-2 की परीक्षा में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि दामोदर घाटी निगम में करीब 20-25 वर्षों से 1300 स्थाई प्रकृति के अस्थाई श्रमिक कार्यरत हैं, जिनको प्रबंधन द्वारा सूचीबद्ध किया गया है और न्यूनतम मजदूरी के अलावा अतिरिक्त लाभ दिया जाता है, परन्तु उनकी सेवाओं को स्थाई श्रमिक के रूप में नियमित नहीं किया गया है। कॉंट्रेक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 के तहत ऐसे श्रमिकों की सेवाओं को ठेका मजदूर के रूप में कार्य कराने के विरूद्ध है। उक्त नियम के अनुपालन के कारण राज्य सरकार ने श्रम विभाग द्वारा ऐसी ठेका प्रथा से काम न कराने के लिए निर्देश जारी किया। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा इस प्रकार से ठेका प्रथा से काम कराना उचित नहीं है। ऐसे मजदूरों को स्थाई कर्मचारी के रूप में नियमित करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि डीवीसी में मृत कर्मचारियों के 500 आश्रितों को नियुक्ति देने का मामला लगभग 12 वर्ष से लम्बित है। इनको पांच लाख रुपए मुआवजा देने की नीति बनाई गई, जब कि ऐसे आश्रितों को नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि डीवीसी में कई वर्षों से ग्रुप सी और डी की कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि कि वर्तमान में जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कराया जा रहा है, वैसी स्थिति में ऐसे मृत कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति उनके द्वारा कराई जाए। अभी हाल में डीवीसी में जूनियर क्लर्क सह टंकक, 2010 की परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में टाइपिंग की गति परीक्षा में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं। निजी लाभ के लिए अयोग्य परीक्षार्थियों को योग्य करार दिया गया।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि अविलम्ब इसे रद्द करके सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।